न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–426/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या– 1161/2026
(CNR No: UPGZ010027132026)

शान पुत्र शौकीन, उम्र 23 वर्ष, निवासी–मक्के वाली मस्जिद के पास लोकप्रिय विहार खोड़ा, थाना खोड़ा, जिला गाजियाबाद।

.............आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–35/2026
धारा–317(2),317(5),345(3) बी०एन०एस०
थाना–लिंकरोड, गाजियाबाद।

....

<u>05.03.2026</u>

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त शान की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार शौकीन ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उ०नि० अंकित कुमार ने दिनांक 10.02.2026 को थाना लिंकरोड पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि दिनांक 09.02.2026 को वादी मुकदमा मय हमराहीयान के वास्ते गश्त व देखरेख शांति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरामय में मामूर होकर पैसेफिक मोल के पास चैकिंग कर रहे थे। तभी दो व्यक्ति एक माटरसाईकिल पर दिल्ली की ओर से आते हुए दिखाई दिये। पुलिस वालों ने मोटरसाईकिल को रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल चालक ने मोटरसाईकिल को पीछे मोड़कर भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने आवश्यक बल प्रयोग कर कुछ दूरी पर मोटरसाईकिल चालक व सवार दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों के नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो चालक ने अपना नाम शान पुत्र शौकीन बताया तथा जामा तलाशी में पैन्ट की बाई जेब से 100 रुपये मिले तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मुबीन अहमद पुत्र रफी अहमद बताया जामा तलाशी से कुछ नहीं मिला। मोटरसाईकिल के कागज तलब किये तो दिखाने में कासिर कर रहे थे तथा बताया कि यह मोटरसाईकिल उन दोनों ने मिलकर दिल्ली शास्त्री पार्क इलाके से करीब दो महीने पहले चोरी की थी। मोटरसाईकिल का रजि. नं.DL6SBF2949 को ई–चालान ऐप पर चैक किया गया तो हीरो स्पैलेंडर प्लस मोटरसाईकिल के चैसिस नं. से मिलान नहीं खा रहा था। मोटरसाईकिल का वास्तविक चैसिस नंबर को चालान ऐप पर चैक किया गया तो हीरो स्पैलेंडर प्लस मोटरसाईकिल का वास्तविक रजि. नं.DL5SDG1079 होना पाया तथा उक्त मोटरसाईकिल की चोरी के संबंध में थाना शास्त्री पार्क नोर्थ ईस्ट दिल्ली पर मु०अ०सं० 033953/2025 धारा–305(B) बी.एन.एस पंजीकृत होना पाया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त ... झूठा फंसाया

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.06 10:20:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई, जो मोटरसाईकिल बरामद दिखायी गयी है वह पहले से ही थाने में खाड़ी थी। जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह पुलिस द्वारा अपने पास से दर्शायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध में संलिप्त रहा है। जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये तथा प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्त से चोरी की एक मोटरसाईकिल जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, की बरामदगी दर्शीयी गयी है। जिसे वह अपने पास रखे हुए थे। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपराध की धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 10.02.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है । तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त शान की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा 50,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
दि० 05.03.2026 सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।